झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची

बी0 ए0 संख्या–11 / 2020

बिजय शंकर उर्फ बिजोन सरकार .... याचिकाकर्त्ता

बनाम्

झारखण्ड राज्य .... विपक्षी पक्ष

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री रोंगन मुखोपाध्याय

याचिकाकर्त्ता के लिए: श्री डी0के0 चक्रवर्ती, अधिवक्ता।

राज्य के लिए : श्री राम प्रकाश सिंह, ए0पी0पी0।

02 / 10.01.2020 श्री डी0के0 चक्रवर्ती, याचिकाकर्त्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता और श्री राम प्रकाश सिंह, राज्य के लिए विद्वान ए0पी0पी0 को सुना।

याचिकाकर्त्ता सीतारामडेरा थाना काण्ड संख्या 84 वर्ष 2019 के संबंध में एक आरोपी हैं।

यह आरोप लगाया गया है कि याचिकाकर्त्ता और अन्य लोगों ने भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होने का दावा करते हुए एक कंपनी का गठन किया था। नौकरी हासिल करने के लिए वल्क–इन–इंटरव्यू आयोजित किया जाना था और उम्मीदवारों को डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से 2,000 / – रूपये जमा करने थे। जाँच पर यह पता चला कि कोई मान्यता नहीं थी और आम जनता को धोखा दिया जा रहा था।

याचिकाकर्त्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह कहा गया है कि अनजाने में सरकारी विभागों का लोगो वेबसाइट में अपलोड किया गया था। आगे कहा गया है कि बी0ए0 संख्या 11124 वर्ष 2019 में इस अदालत द्वारा सह–अभियुक्त एरित्रो भट्टाचार्य को जमानत दी गई है।

याचिकाकर्त्ता 26.11.2019 से हिरासत में प्रतीत होता है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में, उपरोक्त याचिकाकर्त्ता को 10,000/– (केवल दस हजार) रूपये के जमानत बंध पत्र एवं समान राशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर, विद्वान न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, जमशेदपुर के संतुष्टि पर, सीतारामडेरा थाना काण्ड संख्या 84 वर्ष 2019 में जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया जाता है।

ह0

(रोंगन मुखोपाध्याय, न्याया0)